

दस्ती

दूरभाष: 0171-2642026
फैक्स : 0171-2600758

कमांक:एसीबी/टी.एस./नीलामी/22/325
कार्यालय छावनी परिषद,
229, रेस कोर्स रोड,
अम्बाला छावनी।
। हरियाणा । - 133001

दिनांक 17 मार्च, 2022.

सेवा में ,

मै0 जे0 एण्ड के0 एसोसियेट,
अम्बाला ।

विषय :- नीलामी सूचना

निवेदन है कि निम्न नीलामी सूचना विज्ञापन आप दैनिक समाचार पत्र अम्बाला संस्करण मे दिनांक.....से पूर्व न्युन्तम स्थान में डी ए वी पी द्वारा निर्धारित दर पर प्रकाशित की गई दो समाचार प्रतियो के साथ इस कार्यालय का भिजावने का श्रम करें ।

1. दैनिक जागरण अम्बाला छावनी
2. इंडियन एक्सप्रेस, अम्बाला छावनी।

छावनी परिषद, अम्बाला

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी क्षेत्र से मृतक पशु उठाने हेतू ठेका वर्ष 2022-2023 दिनांक 28.03.2022 को 10.30 बजे छावनी बोर्ड कार्यालय में होगा । जिसकी आग्रिम राशी दस हजार रुपये छावनी परिषद के E-Chhawani Portal पर self generation challan करके जमा करनी होगी यह राशी जमा होने के पश्चात् ही बोली में बैठने के अधिकार होगा जिसकी शर्तें छावनी बोर्ड पर लगे सूचना पठ एवं छावनी परिषद,अम्बाला की website ambala.cantt.gov.in. पर देखी जा सकती है ।

हस्ता:

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद,अम्बाला छावनी।

अनुज गोयल

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद,अम्बाला छावनी।

। अनुज गोयल ।

दस्ती

दूरभाष: 0171-2642026
फैक्स : 0171-2600758

कमांक: एसीबी/टी.एस./नीलामी/22/325
कार्यालय छावनी परिषद,
229, रेस कोर्स रोड,
अम्बाला छावनी।
(हरियाणा) - 133001

दिनांक: 12 मार्च, 2022.

नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद क्षेत्र में मृतक पशु उठाने का ठेका बराये वर्ष 2022-2023 दिनांक 28.03.2022 को 10.30 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में होगा। जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. बोलीदाता को बोली देने के लिए 10000/-रुपये की राशी बतौर जमानत जमा करानी होगी। एनआईटी में निर्दिष्ट राशि के लिए बयाना राशि ऑनलाइन मोड में जमा की जानी है। बोलीदाता को ई-चवानी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद एम-क्लेक्ट से स्वयं चालान के माध्यम से सभी भुगतान अर्थात् बयाना राशि केवल स्वयं सेवा मोड के माध्यम से करने की आवश्यकता है: -

चरण 1: ई-छवानी .gov.in/citizen पर लॉग इन करें।

चरण 2: फोन नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें। और ओटीपी (यदि पंजीकृत हो) यदि पंजीकृत नहीं है, तो पहले स्वयं को पंजीकृत करें।

चरण : 3 चालान प्रणाली खोलें।

चरण : 4 नए चालान पर क्लिक करें (छावनी अंबाला का चयन करें)

चरण : 5 बयाना राशि के लिए, सेवा श्रेणी में लेनदार जमा का चयन करें, फिर सेवा प्रकार में बयाना राशि का चयन करें, विवरण भरें, राशि दर्ज करें और कार्ड, यूपीआई वॉलेट आदि पर क्लिक करें।

चरण 6: फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट आदि के माध्यम से भुगतान के लिए आगे बढ़ें। बयाना राशि के भुगतान का प्रमाण निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना है। बयाना राशि का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में बोलीदाता पर विचार नहीं किया जा सकता है।

2. ठेके की सारी रकम बोली खत्म होने पर तुरन्त जमा करानी होगी।

3. ठेका बोर्ड की मन्जूरी के उपरान्त दो मुख्य शर्तों पर दिया जायेगा :-

क। प्रथम शर्त यह है कि उंची बोलीदाता एयर फोर्स स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर पशुओं को छिलने का काम अथवा स्केनिंग का कार्य करेगा।

ख। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को प्रतिदिन छावनी परिषद कार्यालय से मृतक पशुओं की रिपोर्ट लेनी होगी व रिपोर्ट मिलने के तुरन्त पश्चात मृतक पशु उठाने होंगे। मृतक पशु का मास बेचने की अनुमति नहीं होगी यदि उपरोक्त दोनों शर्तों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

4. टेका बोर्ड की मन्जूरी के उपरान्त की मन्जूर समझा जायेगा। बोर्ड/ मुख्य अधिशासी अधिकारी को हक होगा की बिना कारण बताए मन्जूर करें या न करें ।
5. उंची बोलीदाता यदि पूरी रकम बोली खत्म होने पर जमा नहीं कराता तो बोली दाता की जमानत राशी जब्त कर ली जायेगी ।
6. उंची बोलीदाता को टेके की पूरी रकम के अलावा 10 प्रतिशत राशी बतौर जमानत जमा करवानी होगी, जो कि टेका समाप्त होने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी तथा जमा राशी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ।
7. जिसकी शर्तें छावनी बोर्ड पर लगे सूचना पठ एवं छावनी परिषद, अम्बाला की website ambala.cantt.gov.in, पर भी देखी जा सकती है ।

अनुज गोयल

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, अम्बाला छावनी।
। अनुज गोयल ।

प्रति :-

- 1, कार्यालय नोटिस बोर्ड , अम्बाला ।